न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – डॉ इंद्रजीत यादव, IAS

जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 02/ 2023
GCMS रजिस्ट्रेशन संख्या : 2023/44

प्रार्थी/अपीलार्थी :– बनाम अप्रार्थी /रेस्पोण्डेंट्स:–

श्रीमती भगवती पुत्री जशोदा भील निवासी कल्याण कोलोनी, भागाकोट, जिला बांसवाडा (राजस्थान)

1. श्री कालु पिता श्री धुला भील, निवासी मुस्लिम कोलोनी, बांसवाडा, गांव भीलवन, पंचायत सुरपुर, तहसील बांसवाडा
2. तहसीलदार तहसील बांसवाडा

उपस्थित

श्री शंकरलाल निनामा, अधिवक्ता अपीलांट — श्री भूपेन्द्र जैन, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम

दिनांक :– 10–06–2024

अपीलांट श्रीमती भगवती पुत्री जशोदा भील निवासी कल्याण कोलोनी, भागाकोट, जिला बांसवाडा (राजस्थान) ने यह अपील इस आशय से प्रस्तुत की है कि अपीलांट व श्रीमती मंगली पुत्री श्री अमरु खांट के सयुक्त स्वामित्व, आधिपत्य व खातेदारी की कृषि भूमि खाता संख्या 551 नया, 278 पुराना के आराजी सर्वे नंबर 2288 रकबा 5.09 बिघा वाके राजस्व ग्राम बांसवाडा में स्थित है, जिसमें अपीलांट का 1/2 भाग का हक, हित, हिस्सा व अधिकार निहित था। वर्ष 2005 में वेस्ता पुत्र वजा जाति भील ने एक वाद अपीलांट व श्रीमती मंगली के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी बांसवाडा के न्यायालय में पेश किया। उक्त

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

खसरे के विवाद को लेकर माननीय उपखण्ड न्यायालय में प्रकरण संख्या 68/2005 पर संस्थित हुआ। जिसका निर्णय 25.06.2015 को न्यायालय द्वारा सुनाया गया। उक्त प्रकरण वर्ष 2005 से लगातार वर्ष 2015 अथात् 10 वर्ष तक चलता रहा। अपीलांट को इस बात की जानकारी थी कि केस के चलते वह उक्त कृषि भूमि को बेचन, गिरवे रखने या किसी के नाम स्थानांतरित करने का हक नही रखती है। श्री विनोद काटुआ पुत्र श्री मोहनलाल काटुआ ने राज्य सरकार की राहत के नाम पर मात्र राशि पांच हजार रूपये नगद राशि देकर गुपचुप तरिके से अपीलांट् के अनपढ़ होने का नाजयज फायदा उठाया व उक्त कृषि भूमि का विक्रय रेस्पोडेन्ट् सं. 1 के नाम से करवा दिया। वो भी वर्ष 2012 में जबकि उस समय माननीय न्यायालय में उक्त सर्वे नम्बर व खसरा नम्बर के बंटवारे का विवाद श्री वेस्ता पुत्र वजा के साथ चल रहा था व जिसका निर्णय, आदेश वर्ष 2015 में हुआ। उक्त निर्णय अपीलांट् व श्रीमती मंगली के हक में हुआ जिस पर व्यथित होकर वेस्ता के पुत्र नाथु पुत्र वेस्ता ने जरिये अधिवक्ता क न्यायालय भू-प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर के न्यायालय में आज दिनांक तक उक्त अपील विचारणिय है। कालु पुत्र धूला भील के नाम जैसे ही पंजीकृत विक्रय पत्र बन चुके तो बनते ही श्री विनोद काटुआ ने नियमानुसार उक्त अपीलांट् के हिस्से की कृषि भूमि का नामांतरण कालु के नाम करवा दिया। अपील अपीलांट् स्वीकार कर मुटेशन संख्या 3647 दिनांक 27.03.2012 गांव,

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

तहसील पटवार हल्का शहर व जिला बांसवाडा के अवैध व शून्य होने से निरस्त करने निवेदन कियां।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोण्डेंटस् को समन जारी किये गए। दिनांक 04.07.2023 को रेस्पोडेंट सं. 1 का नोटिस बाद तामील पेश हुआ। किन्तु रेस्पोडेंट सं.1 लगातार अनुपस्थित रहे। पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजुद भी रेस्पोडेंट सं. 1 के अनुपस्थित रहने पर दिनांक 29.05.2024 को रेस्पोडेंट सं. 1 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

दिनांक 10.06.2024 को अपीलांट के अधिवक्ता एवं राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। उपस्थित अधिवक्ताओ द्वारा सर्व प्रथम अपीलांट की ओर से दिनांक 24.08.2023 को प्रस्तुत धारा 5 म्याद अधिनियम प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। अपीलांट के अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि अपीलांट को उक्त बेचान व म्यूटेशन की जानकारी पूर्व में बेचान के वर्ष से गत वर्ष तक नही थी इसलिये अपीलांट द्वारा किसी प्रकार की कोई कानूनी कार्यवाही नही की गई। अपीलांट की सांझेदारी श्रीमती मंगली के स्वास्थ्य खराब होने के कारण उसके पौते को अपीलीय न्यायालय उदयपुर में रेस्पोडेंट श्रीमती मंगली के स्थान पर अपील लडने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जहां पर जमाबन्दी की नकल लगाने के लिये राजस्व विभाग से जमाबन्दी की नकल प्राप्त होने पर अपीलांट को इस बात की जानकारी

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

प्राप्त हुई कि उक्त सर्वे नंबर खसरा नंबर का बेचान व म्यूटेशन कालू पुत्र धुला के नाम हो चुका है। अपील अन्दर म्याद मानकर कानूनी कार्यवाही हेतु निवेदन किया।

राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि अपीलांट को प्रकरण में नामान्तरकरण की पुरी जानकारी थी बावजुद जानबुझकर उनके द्वारा नियत अवधि में कार्यवाही नही कर झुठे आधारो पर धारा 5 परिसीमा अधिनियम का आवेदन प्रस्तुत किया है जिसके आधार पर विलम्ब क्षम्य नही किया जा सकता। अपील अपीलार्थी निरस्त फरमावे।

जहां तक अपील म्याद बाहर होने का प्रश्न है। दोनो पक्षो की बहस सुनने के पश्चात् हम इस नतीजे पर पहूँचे है कि प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर होना चाहिये। लिहाजा अपीलान्ट का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम स्वीकार कर विलम्ब को क्षम्य करते हुए अपील अन्दर म्याद समाहित करने के आदेश दिये जाते है।

उपस्थित अधिवक्तागणो की ओर से मूल अपील पर प्रस्तुत बहस सुनी। अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील में प्रस्तुत तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट व श्रीमती मंगली पुत्री श्री अमरु खांट के सयुक्त स्वामित्व, आधिपत्य व खातेदारी की कृषि भूमि खाता संख्या 551 नया, 278 पुराना के आराजी सर्वे नंबर 2288 रकबा 5.09 बिघा वाके राजस्व ग्राम बांसवाडा में स्थित है, जिसमें अपीलांट का 1/2 भाग का हक, हित, हिस्सा व अधिकार निहित था। वर्ष 2005 में वेस्ता पुत्र वजा जाति भील ने एक वाद अपीलांट व श्रीमती मंगली के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के

अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी बांसवाडा के न्यायालय में पेश किया। उक्त खसरे के विवाद को लेकर माननीय उपखण्ड न्यायालय में प्रकरण संख्या 68/2005 पर संस्थित हुआ। जिसका निर्णय 25.06.2015 को न्यायालय द्वारा सुनाया गया। उक्त प्रकरण वर्ष 2005 से लगातार वर्ष 2015 अथात् 10 वर्ष तक चलता रहा। अपीलांट को इस बात की जानकारी थी कि केस के चलते वह उक्त कृषि भूमि को बेचन, गिरवे रखने या किसी के नाम स्थानांतरित करने का हक नही रखती है। श्री विनोद काटुआ पुत्र श्री मोहनलाल काटुआ ने राज्य सरकार की राहत के नाम पर मात्र राशि पांच हजार रूपये नगद राशि देकर गुपचुप तरिके से अपीलांट् के अनपढ़ होने का नाजयज फायदा उठाया व उक्त कृषि भूमि का विक्रय रेस्पोडेन्ट् सं. 1 के नाम से करवा दिया। वो भी वर्ष 2012 में जबकि उस समय माननीय न्यायालय में उक्त सर्वे नम्बर व खसरा नम्बर के बंटवारे का विवाद श्री वेस्ता पुत्र वजा के साथ चल रहा था व जिसका निर्णय, आदेश वर्ष 2015 में हुआ। उक्त निर्णय अपीलांट् व श्रीमती मंगली के हक में हुआ जिस पर व्यथित होकर वेस्ता के पुत्र नाथु पुत्र वेस्ता ने जरिये अधिवक्ता क न्यायालय भू-प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर के न्यायालय में आज दिनांक तक उक्त अपील विचारणिय है। कालु पुत्र धूला भील के नाम जैसे ही पंजीकृत विक्रय पत्र बन चुके तो बनते ही श्री विनोद काटुआ ने नियमानुसार उक्त अपीलांट् के हिस्से की कृषि भूमि का नामांतरण कालु के नाम करवा दिया। अपील अपीलांट् स्वीकार कर मुटेशन संख्या 3647 दिनांक 27.03.2012 गांव,

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

तहसील पटवार हल्का शहर व जिला बांसवाडा के अवैध व शून्य होने से निरस्त करने निवेदन कियां।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान कथन किया कि माननीय उपखण्ड न्यायालय में प्रकरण संख्या 68/2005 जो 25.06.2015 में निर्णित हुआ। उक्त प्रकरण में किसी प्रकार का स्थगन नही था। अपीलांट द्वारा इस अपील में मुख्य रुप से उप पंजीयक बांसवाडा द्वारा पंजीकृत विक्रय विलेख क्रम संख्या 2012001211 दिनांक 13.02.2012 को प्रश्नगत किया है। जिसे निर्धारित करना श्रीमान् के न्यायालय के क्षैत्राधिकार में नही है। रेस्पोडेंट तहसीलदार बांसवाडा द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर नियमानुसार नामान्तरकरण संख्या 3647 दिनांक 28.03.2012 स्वीकृत किया है। अतः अपील अपीलांट निरस्त फरमावे।

हमने उभयपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली मे उपलब्ध अभिलेखो का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। कृषि भूमि खाता संख्या 551 नया, 278 पुराना के आराजी सर्वे नंबर 2288 रकबा 5.09 बिघा वाके राजस्व ग्राम बांसवाडा में स्थित है, जिसमें अपीलांट का 1/2 भाग का हक, हित, हिस्सा. खातेदार श्रीमती भगवती पुत्री जशोदा भील निवासी भागाकोट बांसवाडा द्वारा क्रेता श्री कालु पिता श्री धुला भील निवासी मुस्लिम कोलोनी बांसवाडा को दिनांक 13.02.2012 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के अनुसार कीमतन विक्रय किया है। तहसीलदार बांसवाडा द्वारा उक्त विक्रय विलेख के आधार पर

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

नामान्तरकरण सं. 3647 दिनांक 28.03.2012 से नामान्तरकरण दर्ज किया है। तहसीलदार बांसवाडा द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण पंजीकृत विक्रय–पत्र के आधार पर स्वीकृत किया है, जिसमे कोई विधिक भूल नही की है। जहॉ तक प्रश्न अपीलांट के कथन कि किसी व्यक्ति विशेष द्वारा अन्य व्यक्ति खडा कर बेनामी ट्रांजेक्शन अथवा मिथ्या पूर्वक दस्तावेज तैयार किये जाने से है, तो इसका निर्धारण करना इस न्यायालय के क्षैत्राधिकार में नही है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर तहसीलदार बांसवाडा द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण सं. 3647 दिनांक 28.03.2012 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 10–06–2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(डॉ. इंद्रजीत यादव)
जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)